कन्हैयालाल बनाम लालाराम
वाद सं. 60/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र धारा 10 सीपीसी दिनांक 23/02/24 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/05/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	21/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र धारा 10 सीपीसी दिनांक 23.02.24 के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी प्रतिवादीगण सं. 3,4 की ओर से प्रा.पत्र धारा 10 सीपीसी बाबत हस्तगत वाद की सुनवाई स्थगित किए जाने के इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि हस्तगत वाद के अन्तर्गत उल्लेखित भूमि के ही संदर्भ में एक अन्य वाद जो कि मिन प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है, पूर्ववर्ती वाद है जोकि न्यायालय हाजा में ही बजरंगी लक्ष्मण व अन्य बनाम लालाराम व अन्य, वाद सं. 75/2020 के रूप में लम्बित है। जो कि साक्ष्यवादी (मिन प्रार्थीगण) में नियत है। ~~जो~~ ~~उक्त~~ वाद पूर्ववर्ती वाद तथा वृहद स्तर का वाद है तथा समान विषयवस्तु (भूमि) पर आधारित है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधान अनुसार हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

कन्हैयालाल व अन्य / बनाम / लालाराम व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष : 60 /2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/05/24	वाद की सुनवाई रोके जाने / स्थगित किए जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। अप्रार्थी / वादीगण को प्रार्थनापत्र की प्रति उपलब्ध करवाई जाकर अपना पक्ष / आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निरंतर अवसर प्रदत्त किए गए परन्तु अप्रार्थी वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्यों का कोई मान्य / ~~औपचारिक~~ औपचारिक अथवा समुचित खंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही प्रा. पत्र के संदर्भ में (उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में) कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत की गई है। हमने उभयपक्ष की बहस प्रा० पत्र धारा 10 सीपीसी पर सुनी, तथ्यों पर मनन किया व उल्लेखित अन्य लम्बित पत्रावली बजरंगी लक्ष्मण व अन्य बनाम लालाराम व अन्य का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि वादाधीन भूमि आ.ख.नं. 378/2, 378/3 के संदर्भ में पूर्व से ही वाद लम्बित है जो कि पूर्ववर्ती वाद है। अतः वाद घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में प्रस्तुत होकर लम्बित है तथा हस्तगत पत्रावली की भूमि व अनुतोष (स्थाई निषेधाज्ञा) उक्त पूर्ववर्ती वाद में समाहित है। अतः प्रा. पत्र धारा 10 स्वीकार किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही स्थगित [stamp] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.06.03 13:15:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कन्हैयालाल बनाम लालाराम व अन्य
वाद सं. 60/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/5/24	की जाकर प्रकरण को अन्य लम्बित पूर्ववृत्ति वाद लक्ष्मण बनाम लालाराम व अन्य (वाद सं. 75/2020) के संलग्न शामील किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	कुरेन्द्र ... 29/5/24	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.06.03 13:15:49 IST
Reason: SelfAttested